परिचय

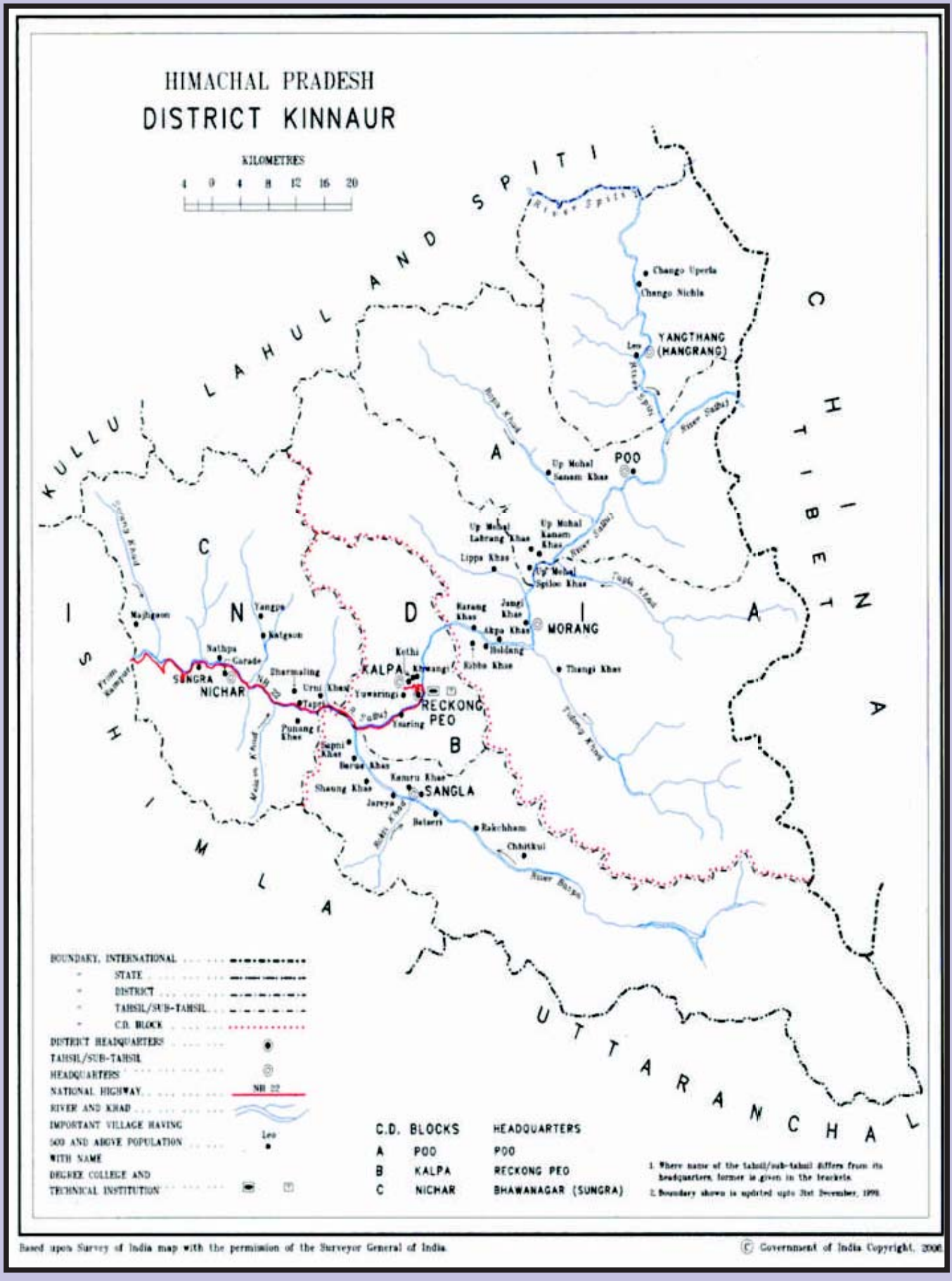

HIMACHAL PRADESH
DISTRICT KINNAUR
KILOMETRES
4 0 4 8 12 16 20
LAHUL AND SPITI
KULLU
CHINA TIBET
SHIMLA
UTTARANCHAL
INDIA
River Spiti
Chango Uperla
Chango Nichla
Leo
YANGTHANG (HANGRANG)
River Sutlej
POO
Up Mohal Sanam Khas
Up Mohal Labrang Khas
Up Mohal Kanam Khas
Lippa Khas
Up Mohal Spiloo Khas
Barang Khas
Jangi Khas
Akpa Khas
MORANG
Rispa
Ribba Khas
Thangi Khas
Kothi
KALPA
Yuwaringi
RECKONG PEO
Telangi
Dharmaling
Urni Khas
Tapri
Punang Khas
Sapni Khas
Barua Khas
Shaung Khas
Kamru Khas
SANGLA
Jareya
Batseri
Rakchham
Chhitkul
River Baspa
Majhgaon
Yangpa
Natgaon
Nathpa
Garade
SUNGRA
NICHAR
From Rampur
NH 22
Tidong Khad
Tagla Khad
A
B
C
D
BOUNDARY, INTERNATIONAL
STATE
DISTRICT
TAHSIL/SUB-TAHSIL
C.D. BLOCK
DISTRICT HEADQUARTERS
TAHSIL/SUB-TAHSIL HEADQUARTERS
NATIONAL HIGHWAY
RIVER AND KHAD
IMPORTANT VILLAGE HAVING 500 AND ABOVE POPULATION WITH NAME
DEGREE COLLEGE AND TECHNICAL INSTITUTION
C.D. BLOCKS HEADQUARTERS
A POO POO
B KALPA RECKONG PEO
C NICHAR BHAWANAGAR (SUNGRA)
1. Where name of the tahsil/sub-tahsil differs from its headquarters, former is given in the brackets.
2. Boundary shown is updated upto 31st December, 1999.
Based upon Survey of India map with the permission of the Surveyor General of India.
© Government of India Copyright, 2006

परिचय

1.1 जिले की सामान्य रूपरेखा

किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक है जो राज्य के उत्तर-पूर्व कोने में स्थित है तथा पूर्व में तिब्बत, उत्तर-पश्चिम में लाहौल व स्पिति जिला, पश्चिम में कुल्लू जिला तथा दक्षिण में उत्तराखण्ड राज्य से घिरा हुआ है। जिला 6,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसका मुख्यालय रिकांगपिओ में है, 2011 जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 68.57 लाख (पुरुष: 34.74 लाख तथा महिला: 33.83 लाख) की अपेक्षा जिले की जनसंख्या 0.84 लाख[1] (पुरुष: 0:46 लाख तथा महिला: 0.38 लाख) है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार सम्पूर्ण जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। जिले के तीन उप-मण्डल, पांच तहसील, एक उप-तहसील, तीन सामुदायिक विकास खण्ड, एक जिला पंचायत, तीन खण्ड पंचायत और 234 गांवों से युक्त 65 ग्राम पंचायते हैं। वर्ष 2007-12 के दौरान जिले में निधियों की कुल उपलब्धता ₹ 676.74 करोड़ थी जबकि उसी अवधि के लिए व्यय ₹ 665.89 करोड़ था। उपरोक्त में से 2007-12 के दौरान कुछ मुख्य स्कीमों के सम्बन्ध में कुल आबंटन तथा किया गया व्यय क्रमश: ₹ 290.30 करोड़ तथा ₹ 280.95 करोड़ था। जिले के 13,255[2] परिवारों में से राज्य स्तर के 24 *प्रतिशत* की तुलना में 2,824 परिवार (21 *प्रतिशत*) गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। पुरुष/महिला साक्षरता दर, मानव संसाधन विकास अवसंरचना तथा जिला लेखापरीक्षा के लिए चयनित विकासात्मक स्कीमों की तुलना में जिले में निधियों का प्रवाह, संसाधनों का अनुप्रयोग, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, कुल साक्षरता दर से सम्बन्धित आंकड़े **परिशिष्ट-1.1 से 1.6** में दिए गए हैं।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

1.2.1 प्रशासनिक संरचना

उपायुक्त, किन्नौर

किन्नौर जिले में 1963 से सिंगल लाइन प्रशासन परिचालन में है। उपायुक्त जिले में सभी विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु संस्वीकृति देने वाला प्राधिकारी है। वह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पंचायती राज संस्थाओं, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा राज्य सरकार के समस्त अन्य विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है।

उपायुक्त की सहायता एक अतिरिक्त जिलाधीश (जो पूह उप-मंडल में मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निदेशक भी है) तथा एक परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जो स्कीमों को तैयार करने तथा प्राथमिकीकरण, उनका अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए मुख्य योजना अधिकारी भी है, करता है। परियोजना अधिकारी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना) की आगे सहायता हेतु एक अनुसंधान अधिकारी होता है जो वार्षिक कार्य योजना, सीमा क्षेत्र विकास योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना तैयार करता है।

---

1 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का विच्छेदन अभी प्रकाशित होना है।

2 ग्रामीण गरीब परिवारों के सर्वेक्षण के अनुसार (2002-07)।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर मुख्य अंग है। यह कार्यक्रमों की योजना; अन्य सरकारी, गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय; सफलतापूर्वक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मार्गदर्शन; निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु समुदाय एवं ग्रामीण गरीब को सक्षम बनाने; दिशा-निर्देशों की अनुपालना, गुणवत्ता, समानता तथा दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्धारित अन्तरालों पर सूचित करने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षणों के संचालन की निगरानी रखने के लिए भी उत्तरदायी है।

जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तथा उपायुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जैसा पहले वर्णित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी पर प्रशासकीय नियंत्रण रखता है। परियोजना अधिकारी चैक बुकों का अभिरक्षक भी होता है तथा लेखाओं के अनुरक्षण एवं जिला/राज्य प्रशासन और भारत सरकार के साथ पारस्परिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। वह (पुरुष/महिला) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचित करता है तथा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला परिषद् के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। परियोजना अधिकारी सभी खण्ड विकास अधिकारियों का नियन्त्रण अधिकारी भी है।

जिला का प्रशासकीय ढांचा नीचे **चार्ट-1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-1